


(2)

- 3- होजरील : प्रस्तावित भवन में होजरील, लैण्डिंग वाल्व, आईएस-3844 मानको के अनुसार अधिष्ठापित कराया जाना मानचित्र में अंकित है, तथा प्रत्येक तल पर लैण्डिंग वाल्व के पास होज कैबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज तथा पाइप रखा जाना अनिवार्य होगा।
- 4- वेटराइजर:- भवन में वेटराइजर सिस्टम एनबीसी-2005 के मानको के अनुरूप प्रस्तावित है।
- 5- प्रस्तावित भवन के सामने यार्ड हाइड्रेंट लगाना आवश्यक होगा तथा उसके पास होज बाक्स बना कर उसमें एक अदद डिलीवरी होज पाइप व ब्रांच पाइप एवं फायर सर्विस इनलेट का प्राविधान आईएस-13039:1991 के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।
- 6- हस्तचालित इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम :-एनबीसी मानको के अनुसार प्रस्तावित है।
- 7- स्वचालित डिटेक्शन एवं एलार्म सिस्टम :-एनबीसी मानको के अनुसार प्रस्तावित है।
- 8- स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम:- भवन के बेसमेन्ट व ऊपरी तलों के आंतरिक भाग में एनबीसी मानको के अनुसार मानचित्र में अंकित है। प्रस्तावित भवन के स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी की फीडिंग टेरिस टैंक व भूमिगत टैंक दोनों से करनी होगी।
- 9- टेरिस टैंक:- प्रश्नगत भवन के टेरिस पर स्थाई टेरिस टैंक 20000 लीटर क्षमता का स्थापित किया जाना प्राविधानित है।
- 10- टेरिस पम्प:- आवश्यक नहीं
- 11- प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर आईएस 2190- 2010 के अनुसार लगाया जाना आवश्यक होगा।
- 12- स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम:-
- ए- फायर चेकडोर, स्मोक चेक डोर, फी लोकेशन व रेटिंग 2 एच है।
- बी- सिस्टम की मैकअप एअर व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा।
- सी- स्मोक रिजरवायर अनुमानित स्मोक लेयर आदि को आधारित करते हुए एक्सट्रैक्शन सिस्टम का तकनीकी विश्लेषण किया गया है, आकस्मिकता के समय एक्सट्रैक्शन सिस्टम की क्षमता एनबीसी मानको के अनुसार होनी चाहिए।
- 13- प्रेशराइजेशन प्रणाली - समस्त एनबीसी सिस्टम के डैम्परो व एचयू की इंटरलाकिंग फायर डिटेक्शन सिस्टम से किया जाना आवश्यक होगा।
- 14- एग्जिट साइनेज:- सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साइनेट प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।
- 15- पीएच सिस्टम:- भवन में पीएच सिस्टम प्राविधानित किया जाना आवश्यक होगा।
- 16- फायर लिफ्ट:- प्रस्तावित भवन में फायर लिफ्ट का प्राविधान किया गया है।
- 17- प्रश्नगत भवन में इमरजेन्सी/स्केप लाइटिंग एनबीसी-2005 पार्ट-4 में उल्लिखित के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।
- 18- भवन निर्माण के पश्चात व उपयोग के पूर्व भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील दशा में रखने हेतु एनबीसी-2005 पार्ट-4 के प्रस्तर सी-5, सी-6, सी-7, सी-8, सी-9 में उल्लिखित मानको का पालन अनिवार्य होगा।
- 19- भवन में एनबीसी-2005 पार्ट-4 के प्रस्तर सी-1.15 के अनुसार एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत (जनरेटर सेट) स्थापित कर उससे भवन की अग्निशमन प्रणाली, फायर लिफ्ट, स्टेयरकेसों व कोरीडोर की लाइटों स्टैण्ड बाई फायर पम्प, प्रेशराइजेशन फैंस, स्मोक एक्सट्रैक्शन तथा डैम्पर सिस्टम को पृथक लाइन (वायरिंग) फायर सेफ डक्ट से सुरक्षित करते हुए जोड़ा जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी, पीजीआई लखनऊ की संस्तुति के आधार पर सुल्तानपुर रोड पर मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रा लिड लखनऊ द्वारा हाइटक टाउनशिप सुशांत गोल्फ सिटी सेक्टर-जे में प्रस्तावित कामर्शियल/मल्टी प्लेक्स भवन के निर्माण हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/ इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया- 2005 में उल्लिखित मानको के अनुसार कराये जायें तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानको के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/ परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र


(एच.एस.मलिक)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी/
प्रभारी उपनिर्देशक, फायर सर्विस
लखनऊ।

प्रतिलिपि:- मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रा लिड लखनऊ को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

2- अग्निशमन अधिकारी, पीजीआई लखनऊ को सूचनार्थ एवं आका हेतु।